सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़, 1940 (श०)

संख्या- 628 राँची, शुक्रवार 29 जून, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

26 जून, 2018

संख्या-एल०जी०-18/2017-49/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 12 जून, 2018 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 07, 2018)

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के 68वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा ।

(ii) यह 1 जनवरी, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

(iii) न्यायालय अथवा प्राधिकरण का न्यायादेश अथवा आदेश के अंतर्विष्ट होते हुए भी इस संशोधित अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे ।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 का संशोधन :-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (2) में दूसरे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"परंतु यह भी कि धारा 10 (क) में सूचीबद्ध परियोजनाओं और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन को इस उपधारा के पहले परन्तुक के उपबंधों से छूट प्राप्त होगी ।"

3. मूल अधिनियम की धारा-iii के पश्चात, निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"अध्याय 3 क"

अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों का कतिपय परियोजनाओं को लागू न होना।

10क. राज्य सरकार, लोकहित में, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित परियोजनाओं में से किन्ही को इस अधिनियम के अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों के लागू किए जाने से मुक्त कर सकेगी, अर्थात :-

सरकारी आधारभूत परियोजनाएँ जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन, आँगनबाड़ी केन्द्र, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्युतीकरण, सिंचाई, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास, जलापूर्ति, पाईप लाईन्स, ट्रांसमिशन एवं अन्य सरकारी भवन भी शामिल है । इन परियोजनाओं के लिए भी ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी का परामर्श प्राप्त किया जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

26 जून, 2018

संख्या-एल०जी०-18/2017-50/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 जून, 2018 को अनुमत **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (JHARKHAND AMENDMENT) ACT, 2017 (JHARKHAND ACT- 07,2018)

AN ACT TO AMEND THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF JHARKHAND.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the sixty eighth year of the Republic of India as follows-	
1. (1) This Act may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Jharkhand Amendment) ACT, 2017.	Short title and commencement
(2) The Act shall be deemed to have come into effect on 1st January, 2014	
(3) The provisions of this Amendment Act shall have effect notwithstanding anything contained in any Law or Judgement or Order of any Court or authority.	
2. In the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 2, in sub-section (2), after the second proviso, the following proviso shall be added, namely :- "Provided also that the acquisition of land for the projects listed in Section 10A and the purposes specified therein shall be exempted from the provisions of the first proviso to this sub-section."	Amendment to Section-2 Central Act 30 of 2013
3. In the principal Act, after Chapter-III, the following new chapter-IIIA shall be inserted:-	Insertion of new section 10 A

CHAPTER-IIIA	
Provisions of Chapter-II & III not to apply to certain projects	
10A- The State Government may, in the public interest by notification in the official gazette, exempt any of the following project from the application of the provision of Chapter-II and Chapter-III of this Act, namely:-	Power of the State Government to exempt certain project
Government Infrastructure projects including Schools, Colleges, Universities, Hospitals, Panchayat Buildings, Anganbadi Centres, Rail, Road, Waterways, electrification, irrigation, housing for the economically weaker section, Water supply, Pipelines, Transmission and other Government Buildings for undertaking such projects advise of Gram Sabha/Local Authority shall also be taken.	

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 628 -- 50